

2021/462

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला-जोधपुर
प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021 कैम्प-सूरपुरा खुद

क्रमांक:- प्र.गां.के.सं.अ./2021/ 922

दिनांक:- 08/11/21

प्रेषित:- तहसीलदार भोपालगढ़
जिला जोधपुर

विषय:- DILRMP के तहत की गयी गलत तरमीम दुरुस्ती करने बाबत। (एलआर एक्ट की धारा 131,136 के तहत)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम सूरपुरा खुद पटवार हल्का सूरपुरा खुद
के खाता संख्या 186, 212, 729, 164, 820, 750 जिसके खसरा नं. 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 194/6, 194/7, 1, 3921 हैं,
1. 6997 0.1613 किस्म तीरानी की तरमीम दुरुस्ती के तहत प्राप्त प्रार्थी के आवेदन पत्र,
1. 1812 पटवारी सूरपुरा खुद भू अभिलेख निरीक्षक घान्सी 21/01/21 की जांच रिपोर्ट एवं
1. 1236 तहसीलदार भोपालगढ़ की स्पष्ट अनुशंसा के आधार एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा
0.8054 अनुसार खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरुस्ती की स्वीकृति दी जाती है एवं तहसीलदार भोपालगढ़ को
आदेशित किया जाता है कि तरमीम दुरुस्ती अनुसार नक्शों में इन्जाज करे।

नोट:- पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की अनुशंसा रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा।

एच.आई. सिंह यादव
(सहायक कलक्टर
प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

क्रमांक:- सम/ 922
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 08/11/21

1. प्रार्थी श्री दयानंद को सूचनार्थ।

एच.आई. सिंह यादव
(सहायक कलक्टर
प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021



Received
Om
8/11/2021
O.R

